1	2	3	4
14.	वोग बेहरा	रायपुर	07–12–94
15.	करनावाड़	देवास	18–10–94
16.	कंता फोड़	देवास	18–10–94
17.	खनियाधना	शिवपुरी	31–12–94
18.	सहवार	इन्दौर	20–12–94
19.	बदनावोर	धार	10–01–95
20.	धर्मपुर	धार	10–01–95
21.	भाभरा	झाबुआ	14–11–94
22.	धमोंट	धार	10–01–95
23.	बमनिया	झाबुआ	20–12–94
24.	पूसमेल	खारगोस	30–12–94
25.	डोंगरगांव	राजनंदगाव	17–12–94
26.	बामोरेकला	मुरैना	31–12–94
27.	होतपिपलिया	देवास	23–12–94
28.	बड़ौदा	मुरैना	31–12–94
29.	विजयपुर	मुरैना	31–12–94
30.	राघोगढ़	गना	09–03–95

दिल्ली में सामाजिक संस्थाओं को भूमि/फ्लैटों का आबंटन

2994. **ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सामाजिक संस्थाओं को भूमि/फ्लैटों को आबंटित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या उस उद्देश्य की समीक्षा कर ली गई है, जिसके लिए इन संस्थाओं को भूमि/फ्लैट्स आबंटित किए गए थे ;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितनी संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली में सामाजिक संस्थाओं को भूमि का आवंटन निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा और साथ ही शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है --

1. संस्था प्रत्यक्ष रूप से आबादी के हित में काम करती हो ;

2. यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी हो अथवा उसका स्वामित्व और संचालन सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के पास हो अथवा उसका गठन या स्थापना उस समय लागू किसी कानून के तहत की गई हो ;

3. यह गैर मुनाफा कमाने वाली संस्था हो और उसके पास अपने उपयोग के लिये भूमि और भवन निर्माण की

लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि हो ; और

4. ऐसे संस्थाओं को आबंटन, संस्थान की कार्यकलापों से सम्बन्धित मंत्रालय की सिफारिश पर किया जाता है ।

नीतिगत मामले के रूप में, सामाजिक संस्थाओं सहित प्राइवेट संगठनों को फ्लैटों का आबंटन नहीं किया जाता है। अपरिहार्य परिस्थितियों में, ऐसे आबंटन मंत्रिमंडल आवास समिति के अनुमोदन से नीति में छूट देते हुए विशिष्ट अवधि के लिये किये जाते हैं ।

(ग) और (घ) आबंटन पश्चात्, समीक्षा, एक सतत् प्रक्रिया है इसलिए निर्मित/आबंटित परिसरों के संस्थाओं द्वारा उपयोग के सम्बन्ध में समय-समय पर जांच की जा रही है । पट्टा शर्तों के उल्लंघन के मामले में पट्टे की शर्तों के तहत कार्रवाई की जाती है ।

"हुडको" की सार्वजनिक योजना

2995. श्री एस० मुथुणि:
श्री शंकर दयाल सिंह:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "हुडको" ने हाल ही में किसी सार्वजनिक योजना की शुरूआत की है ;

(क) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा अब तक इस योजना के अंतर्गत कितने लोगों ने कितना निवेश किया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०के० थुगन): : (क) और (ख) जी, हां। आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको ने अपने संसाधन आधार बढाने के उद्देश्य से अक्तूबर, 1994 में सार्वजनिक जमा योजना घोषित की है । यह योजना आवासी/प्रवासी व्यक्तियों (स्वदेश न भेजने के आधार पर) अभिभावकों के जरिये अव्यस्कों, संयुक्त हिन्दु, परिवारों, न्यासों, सहकारी समितियों, देशी कम्पनियों आदि के लिये है। योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) जमा अवधि के आधार पर ब्याज दर 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत ।

(2) जमा राशियां 12 माह, 24 माह, 36 माह, 48 माह, 60 माह, 72 माह, तथा 84 माह के लिये स्वीकार की जाती है ।

(3) संचयी व मियादी ब्याज भुगतान का विकल्प है ।

(4) जमा योजना को क्राईसिल (क्रेडिटरेटिंग एंड इन्फोमशन सर्विस आफ इंडिया लिमिटेड तथा इकरा (इन्वेस्टमेंट इन्फोर्मेशन एंड क्रेडिटरेटिंग एजेंसी) ने क्रमश: "फा" (एफएए) तथा "मा" (एमएए) की क्रेडिट रेटिंग दी है जो समय पर ब्याज अदायगी तथा मूलधन वापसी बाबत पूर्ण गारंटी की परिचायक है ।

(5) इस योजना में कोई बिचौलिया नहीं है ।

(6) हुडको के पास जमा राशि पर 10,000 रु० की सीमा तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एल के तहत छूट है ।

(7) न्यासों द्वारा जमा की गई राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(5)(9) के तहत राहत हेतु पात्र निवेश होगी ।

24-3-95 की स्थिति के अनुसार, हुडको ने कुल 569 जमा आवेदन पत्रों के जरिये इस योजना के तहत 165 67 करोड़ रुपये की राशि जुटायी है । जिनमें 455 आवेदन व्यक्तिगतों के हैं ।